पटना नगर निगम
پٹنہ میونسپل کارپوریشن
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

पटना नगरपालिका
1864
CITY OF PATNA

Letter No. / पत्रांकः 11483
Date / दिनांकः 17/07/2026

कार्यालय आदेश

पटना नगर निगम द्वारा नागरिकों की सुविधा एवं सेवाओं के त्वरित, पारदर्शी तथा प्रभावी निष्पादन के उद्देश्य से ऑनलाइन म्यूटेशन पोर्टल विकसित एवं संचालित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से नागरिक नामांतरण/म्युटेशन से संबंधित आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। नागरिकों द्वारा पटना नगर निगम को प्राप्त आवेदनों की तिथि से अधिकतम 35 (पैंतीस) दिनों के पूर्व आवेदनों का निष्पादन किया जाना अनिवार्य है।

पटना नगर निगम के सभी अंचलों के कार्यपालक पदाधिकारी एवं राजस्व पदाधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि नामांतरण/उत्परिवर्तन से संबंधित प्राप्त आवेदन का नियमानुसार अधिकतम 35 (पैंतीस) दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से निष्पादन सुनिश्चित करेंगे।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी भी स्थिति में नामांतरण/उत्परिवर्तन से संबंधित किसी आवेदन का निष्पादन निर्धारित अधिकतम 35 (पैंतीस) दिनों की समय-सीमा के भीतर नहीं किया जाता है तथा विलंब के लिए संबंधित कर्मी/पदाधिकारी उत्तरदायी पाए जाते हैं, तो उनके विरुद्ध वेतन स्थगित करने के साथ-साथ अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी एवं राजस्व पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

अतः सभी संबंधित कर्मी /पदाधिकारी उपर्युक्त निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की लापरवाही, शिथिलता अथवा निर्देशों की अवहेलना को गंभीरता से लिया जाएगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

ह०/-
नगर आयुक्त
पटना नगर निगम

ज्ञापांक - 11483/प०न०नि, पटना, दिनांक- 17/07/2026

प्रतिलिपिः- अपर नगर आयुक्त/उप नगर आयुक्त (राजस्व)/सभी कार्यपालक पदाधिकारी/सभी प्रभारी राजस्व पदाधिकारी/संबंधित अंचल के प्रभारी सहायक/संबंधित कर संग्राहक, पटना नगर निगम को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

17/07/2026

नगर आयुक्त
पटना नगर निगम